



2026:AHC:48718

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-बी संख्या-806/2026

नंदू(मृतक)

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: रामाश्रय त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. यह याचिका निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए दायर की गई है:-

“(I) न्याय के हित में प्रतिवादी संख्या 5 को इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट-बी संख्या 2994/2022 (नंदू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 19.01.2023 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश देने हेतु उचित प्रकृति की रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(II) याचिकाकर्ता को इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट-बी संख्या 2994/2022(नंदू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिनांक 19.01.2023 को पारित आदेश का अनुपालन न करने के लिए प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति देने हेतु उचित प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(III) वर्तमान मामले में विद्यमान तथ्यों और परिस्थितिओं के अधीन इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझा जाने वाला कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(IV) इस रिट याचिका का व्यय खर्च याचिकाकर्ता को पूरा-पूरा प्रदान किया जाए।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस न्यायालय द्वारा रिट-बी संख्या 2994/2022 में दिनांक 19.01.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में भू-राजस्व अभिलेख में संशोधन नहीं किया गया है।
4. मेरी राय में, याचिकाकर्ता के पास इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2023 को पारित आदेश का अनुपालन न करने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करने का वैकल्पिक उपाय है।
5. तदनुसार, इस रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

10 मार्च, 2026

नीतू/-

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”